न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS

राजस्व अपील सं0 38/2021 (GCMS 2021/55)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्टगण
1. श्रीमती ढेली देवी पुत्री स्व० हुक्मदास पत्नि श्री तारादास जाति साध निवासी देवीकोट तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर राजस्थान।		1. मु. इन्दरो बेवा स्व. श्री हुक्मदास जाति साध निवासी देवीकोट तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर
2. श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व० श्री हुक्मदास पत्नी श्री बाबूदास जाति साध हाल निवासी चान्देसरा तहसील बालोतरा जिला बाड़मेर		2. श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्र स्व० श्री हुक्मदास पत्नी श्री रामदास जाति साध हाल निवासी इन्द्राणा तहसील बालोतरा जिला बाड़मेर।
3. श्रीमती नखतू देवी पुत्री स्व. हुक्मदास, पत्नी श्री चन्दनदास हाल निवासी शारदा पाड़ा जैसलमेर।		3. श्रीमती भवरी देवी पुत्री स्व० हुक्मदास पत्नी श्री चिमनादास जाति साध निवासी देवीकोट तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।
		4. श्री तहसीलदार, फतेहगढ तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

उपस्थित :

1. श्री मोहम्मद अली (अधिवक्ता अपीलाण्ट)
2. ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 06.05.2026

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ग्राम देवीकोट तहसील फतेहगढ़ के नामान्तकरण संख्या 143 दिनांक 25.05.1993

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के पिता स्व० हुक्मदास पुत्र मथरदास जाति साध निवासी ग्राम देवीकोट के नाम ग्राम देवीकोट के हाल खसरा नम्बर 181 रकबा 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 1–00 बीघा, खसरा नम्बर 203 रकबा रकबा 41–00 बीघा, खसरा नम्बर 207 रकबा 31–00 बीघा कुल रकबा 75–00 बीघा खातेदारी की भूमि आयी हुई है। अपीलाण्ट के पिता स्व० हुक्मदास आज से करीबन 27–28 साल पूर्व फौत हो चुके हैं तथा उनके वारिसान में अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 हैं। पटवारी हल्का द्वारा स्व० हुक्मदास पुत्र मथरदास के फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 143 दिनांक 25.05.1993 को खोला जाकर हुक्मदास फौत उनके उतराधिकारी पुत्र न होने से उनकी पत्नी के नाम नामान्तरकरण दिनांक 25.05.1993 को स्वीकृत कर केवल स्व० हुक्मदास की पत्नी मु० इन्दरो का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि स्व० हुक्मदस पुत्र मथरदास के वारिसान में उनकी पत्नी इन्दरो थी और हुक्मदास के पांच पुत्रीयों अपीलाट संख्या 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 हैं. पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण भरने से पूर्व किसी भी प्रकार से कोई जानकारी हासिल किये बिना उक्त नामान्तरकरण भरते समय हुक्मदास फौत उनके उतराधिकारी पुत्र न होने से उनकी पत्नी के नाम नामान्तरकरण खोला गया इस प्रकार पटवारी हल्का ने हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 का स्पष्ट उल्लंघन कर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कानूनी एवं तथ्य सम्बन्धी बड़ी भारी भूल की है। स्व०

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS
राजस्व अपील सं0 38/2021 (GCMS 2021/55)

हुक्मदास की पत्नी इन्दरो के अलावा उनकी जायन्दा पांचों पुत्रीयों वारिसान हैं और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रथम श्रेणी अनुसूची में पुत्र, पुत्रीयां व विधवा वारिसान होते हैं लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा पुत्र नहीं होने से केवल उनकी पत्नी रेस्पोडेन्टसं. 1 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कानूनी एवं तथ्य सम्बन्धी बड़ी भारी भूल की हैं। अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट के पिता स्व० हुक्मदास की पत्नी के साथ उसकी पुत्रियो का नाम भी धारा 8 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची में होने से नामान्तरकरण में प्रविष्टि करवाने के पूर्णतया अधिकारी हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की किसी प्रकार से नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच पडताल नहीं की और न ही ग्रामवासियों से पूछताछ ही की गयी। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्धान्त रहा है कि उत्तराधिकार (Succession) कभी भी स्थगन में नहीं रहता हैं तथा एक व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी सम्पति का उसके वैध वारिसान में न्यागमन (Devolition) हो जाती है तथा उसकी पूर्ण (Obsolute) सम्पति कहलाई जायेगी। अपीलाण्ट स्व० हुक्मदास की पुत्रिया है तथा रेस्पोडेन्ट सं० 1 उनकी माता है अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 जो उनकी पुत्रीयां हैं वे अपने–अपने ससुराल में रहती है तथा अपीलाण्ट अनपढ औरते हैं तथा वे कानून से अनभिज्ञ है उन्हे पूर्ण विश्वास रहा था कि उनके पिता की मृत्यु के बाद माता रेस्पोडेन्ट नं. 1 के साथ उनका नाम भी इन्द्राज हो चुका है, लेकिन अभी उनकी माता बीमार होने से उक्त भूमि बाबत जानकारी चाही तब यह पता चला कि उक्त नामान्तरकरण में अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 का नाम उक्त भूमि में इन्द्राज ही नहीं हुआ हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 143 आदेश दिनांक 25.05.1993 निरस्त फरमाया जाकर और नामान्तरकरण अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ सम्मिलित कर नये सिरे से नामान्तरकरण भरा जाने का न्यायोचित आदेश फरमाया किये जाने वावत् निवेदन किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट अनपढ़ और कानूनी रूप से अनभिज्ञ है। अपीलांट को जानकारी होने पर यह अपील दायर की गई है अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद सुमार किये जाने का निवेदन किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 रजिस्टर्ड नोटिस के उपरान्त भी अनुपस्थित। न्यायहित में रेस्पोडेण्ट की तलबी हेतु सीपीसी आदेश 05 नियम 20 (1क) के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट को समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से तलब किया गया वावजूद इसके रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस में कथन किया गया है कि अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 स्व० हुकमदास पुत्र मथरदास जाति साध के जायज वारिसान हैं स्व हुकमदास के नाम ग्राम देवीकोट में हाल खसरा नम्वर 181 रकवा 2–00 वीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 1–00 बीघा, खसरा नम्वर 203 रकवा 41–00 वीघा, खसरा नम्वर 207 रकवा 31–00 बीघा कुल रकबा 75–00 बीघा खातेदारी में इन्द्राज की गयी हैं स्व० हुकमदास करीवन 27–28 साल पूर्व फौत होने पर पटवारी हल्का देवीकोट द्वारा दिनांक 23.05.1993 को ग्राम पंचायत देवीकोट व ग्रामवासियों से बगैर संपूर्ण जानकारी लिए विना ही नामान्तरकरण भरा जाकर दिनांक 25.05.1993 को अतिरिक्त तहसीलदार फतेहगढ द्वारा स्वीकृत करवाया गया, उक्त नामान्तरकरण स्व० हुकमदास के वारिसान के विरुद्ध विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य हैं। स्व० हुकमदास की पत्नी मु. इन्दरो देवी के नाम ही नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत करवाया हैं उक्त नामान्तरकरण में पटवारी हल्का ने अपने विवेक से विशेष विवरण के कॉलम में "हुकमदास फौत उनके उतराधिकारी पुत्र न होने से उनकी पत्नी के नाम नामान्तरकरण खोला गया" जबकि पटवारी हल्का मूल कर्तव्य हैं कि वे ग्रामवासियों व ग्राम पंचायत देवीकोट से संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर नामान्तरकरण भरा जाना चाहिये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मु. इन्दरो देवी के अलावा स्व० हुकमदास के पांच पुत्रीयां हैं अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 स्व० हुकमदास की जायज वारिसान हैं तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान हैं पटवारी हल्का द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी हासिल नहीं की एवं ना ही कोई संपूर्ण जांच की गई। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्धान्त रहा हैं कि उत्तराधिकारी कभी भी स्थगन में नहीं रहता हैं तथा एक व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी सम्पति का उसके वैध वारिसान में न्यायगत हो जाती है अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों का कोई गौर नहीं कर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कानूनी एवं तथ्य सम्बन्धी बडी भारी भूल की हैं। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS
राजस्व अपील सं0 38/2021 (GCMS 2021/55)

अपीलाण्ट स्व० हुकमदास की पुत्रीयां हैं तथा रेस्पोडेन्ट स० 01 उनकी माता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 पुत्रीयां हैं वे अपने–अपने ससुराल में रहती हैं तथा अपीलाण्ट अनपढ औरते है एवं कानून से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हे यह पूर्ण विश्वास रहा था कि उनके पिता के मरने के बाद माता रेस्पोडेन्ट संख्या एक के साथ उनका नाम भी इन्द्राज हो चुका है नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व स्व० हुकमदास की पुत्रीयों को इतिला नहीं दी गयी अपील पेश करने से पूर्व उनकी माता बीमार होने से उक्त भूमि बाबत जानकारी चाही तब यह पता चला कि उक्त नामान्तरकरण में अपीलाट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का नाम सम्मिलित ही नहीं हुआ हैं तब पटवारी हल्का देवीकोट से दिनाक 07.09.2020 को उक्त नामान्तरकरण की नकले प्राप्त की और अपील पेश की गयी न्याय का यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि गुणावगुण पर पक्षकार का सुदृढ मामला हो तो मियाद के तकनीकी आधारों पर सुनवाई करने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिये।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के समर्थन में मजीद बहस एवं इन्दरों बेवा हुक्मदास साध निवासी देवीकोट का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित सुदा असल सहमति शपथ–पत्र पेश किया गया है। इन्दरों बेवा हुक्मदास साध निवासी देवीकोट के सहमति शपथ–पत्र द्वारा हतस्गत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि ग्राम देवीकोट के हाल खसरा नम्बर 181 रकबा 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 01–22 बीघा, खसरा नम्बर 207 रकबा 31–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 203 रकबा 41–00 बीघा कुल रकबा 75 बीघा भूमि में अपनी पुत्रियों अपीलांट संख्या 01 से 03 व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 का सम्मिलित हिस्सा दर्ज करवाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष में अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार कर तहसीलदार, फतेहगढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 143 दिनाक 25.05.1993 निरस्त कर नामान्तरकरण अपीलाण्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम रेस्पोडेन्ट संख्या एक के साथ सम्मिलित कर नये सिरे से नामान्तरकरण भरे जाने का न्यायोचित आदेश जारी करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्षों की बहस पर मनन, अपीलांट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के समर्थन में पेश न्यायिक दृष्टांतों का एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। विवादग्रस्त भूमि जो रेस्पोडेण्ट संख्या 01 इन्दरों बेवा स्व. हुकमदास जाति साध निवासी देवीकोट तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के नाम आलोच्य नामान्तकरण के द्वारा दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के द्वारा उनकी पुत्रियों अपीलांट संख्या 01 से 03 व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 के नाम हिस्से अनुसार उनके नाम दर्ज किये जाने की सहमति एवं इस आशय का एक सौ रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित सुदा शपथ पत्र जरिये अपीलांट अधिवक्ता पेश किया गया है। अतः रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत सहमति एवं शपथ–पत्र के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आलोच्य नामान्तकरण अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, फतेहगढ़ को प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि नये सिरे से विधिवत नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावें। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर